यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी के माह 12/2015 से 05/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 19/06/2017 से 01/07/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक (दिनांक 19-06-2017 से 25-06-2017 तक) पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री दिनेश कुमार पर्यवेक्षक एवं श्री अजय कुमार मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03/12/2015 से 15/12/2015 तक श्री आर.एस. नेगी-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2014 से 11/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 05/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद उत्तरकाशी के वकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत सड़कों, पुलो एवं भवनों से संबं धत निर्माण कार्य।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	415.48	356.15	651.86	667.32		59.30
2015-16	-	-	316.28	298.20	1710.45	1706.71		18.08
2016-17	-	-	500.53	470.11	1479.38	1452.19		30.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	एस.पी.ए.आर.	-	315.34 145.67	315.34 32.93	- 112.74 समर्पण	-
2015-16	एस.पी.ए.आर.	-	603.95	603.95	-	-
2016-17	एस.पी.ए.आर.	-	13.03	13.03	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। सारीगाड़ी-गातू-मूलागांव मोटर मार्ग का सुधार व डामरीकरण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन ..... - .... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 19-01-16 से 22-01-16 में का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा ...-... तक की गई।
4. फार्म 51: माह 03/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः 1,44,34,82=00

   भाग द् वतीयः 16,55,796=00
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 73,70,656=00

   (ख)सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 4,32,93,038=00

   (ङ) भण्डार 81061=00

भाग 2'ब'

प्रस्तर 1: **कार्य को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं वित्तीय नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी सें अनुमोदन प्राप्त किये टुकड़ो में बाटना,** सड़क निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं कए जाना**,** बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त कए ही ठेकेदार को अतिरिक्त मद पर `**3.92** लाख का भुगतान **एव कार्य पर रू0 126.93 लाख का अधिक व्यय भारित** कया जाना।

नाबार्ड के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के वकास खण्ड नौंगाव के सारीगाड़ गातू ज्ञनागाँव डरोगी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश स.6968/III(2)/13-38/2013 दिनांक 14.12.2013 द्वारा कुल लम्बाई 6.32 क.मी. हेतु लागत 232.26 लाख की प्राप्त हुई थी तत्पश्चात उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति अधीक्षण अ भयंता के पत्रांक-4934 याता0/06सी0-6/2013 दिनांक- 10.10.2014 को `232.26 लाख की प्रदान की गई थी। फार्म 64 (मई 2017) के अनुसार कार्य पर व्यय 293.84 लाख दर्शाया जा रहा था जो प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति से अ धक है जब क भुगतान वाउचर के अनुसार व्यय 133.05 लाख एवं कार्य पर ठेकेदार को उपलब्ध कराये गए स्टॉक (मैक्सफाल्ट 521 ड्रम @6500) मुल्य 33.86 लाख के अनुसार कुल व्यय 166.89 लाख कया गया था जो 126.93 लाख आ धक्य है और अभी भी अनुबन्ध के अनुसार 25.25 लाख के कार्य कए जाने अवशेष है। इस के अतिरिक्त अनुबन्ध संख्या EE/82 मे बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त कए ही ठेकेदार को अतिरिक्त मद पर 3.92 लाख का भुगतान कया गया था। अ भलेखो की जाँच मे आगे यह पाया गया क कार्य पर वत्तीय नियम व UK Procurement rule 2008 के अन्तर्गत अ धशासी अ भयन्ता द्वारा पूर्व मे उच्च अ धकारी (अधीक्षण अ भयंता) से कार्य को छोटे छोटे टुकड़ो मे बाटने हेतु कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा कार्य को टुकड़ो मे बाटते हुये अ धशासी अ भयन्ता द्वारा अलग अलग 07 अनुबन्ध गठित कर निष्पादित कए गए थे। जिसमे से 6 अनुबन्ध मे कार्य को 02/2016 तक पूर्ण कया जाना था जब क कमी0 5 के अवशेष कार्य 12/2016 तक पूर्ण होने थे। ले कन खण्ड द्वारा सड़क निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु ठेकेदारो को न तो कोई नोटिस, न ही time extension दिया और नियम अनुसार बिल से कटोती भी नहीं की गयी थी और कार्य अभी भी (अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति के 16 महीने गुजरने के उपरान्त) प्रगति पर है। अत: निर्माण कार्यो पर समय पर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति न होना यह दर्शाता है क खण्ड कार्य को सही महत्व नही दे रहा है साथ ही ठेकेदार पर नियम अनुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित नहीं कर रहा है जो क खण्ड की कार्य प्रणाली मे श थलता को परिल क्षत करता है।

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु अवगत कराया गया कि जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनता एवं ठेकेदारों को रोजगार दिलाने हेतु किया गया तथा त्रुटिपूर्ण के कारण माह 05/2017 के 64 के अनुसार इस कार्य पर रू0 293.84 लाख दर्शाया गया है, जिसे माह 06/2017 में ठीक कर दिया गया है, इस कार्य पर वास्तविक व्यय रू0 190.02 लाख है, इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने पर अर्थदण्ड लगा कर इनके देयकों का अन्तिमीकरण किया जायेगा व अतिरिक्त मद सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही कार्य को टुकड़ों में बाटा गया था तथा

अतिरिक्त मद के स्वीकृति व व्यय रू0 190.02 लाख मात्र का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जब क भुगतान वाउचर ठेकेदार को उपलब्द्ध कराये गए स्टॉक के अनुसार कुल व्यय 166.91 लाख कया गया था तथा इस कार्य पर आकस्मिक मद से कोई भुगतान नही किया गया था।

अतः कार्य को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं वित्तीय नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी सें अनुमोदन प्राप्त किये टुकड़ो में बाटना, सड़क निर्माण का कार्य समय पर पूर्ण नहीं कए जाना, बिना उच्च अ धकारियों द्वारा अनुमोदन प्राप्त कए ही ठेकेदार को अतिरिक्त मद पर 3.92 लाख का भुगतान एव कार्य पर रू0 126.95 लाख का अधिक व्यय भारित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर 2 :ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी व निर्माण खण्ड बड़कोट द्वारा शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य मे श थलता के कारण नव नि र्मत 3 हाईस्कूल व 2 इण्टर कॉलेज भवनो का उद्देशयो के अनुरूप उपयोग सुनि शत न कये जाने से छात्र छात्राओ को नि र्मत भवनो की सु वधा से वं चत रखना एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहना।

राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 3 हाईस्कूल व 2 इण्टर कॉलेज जिनकी स्वीकृत लागत ` 232.25 लाख थी के निर्माण कार्यो के लए ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी (सभी के लए माध्या मक शक्षा परिषद) ने लोक निर्माण वभाग के निर्माण खण्ड बड़कोट के साथ अनुबन्ध कया था । उपलब्द्ध अ भलखो के अनुसार:

- अनुबन्ध पत्र मे हर निर्माण कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी।
- अनुबन्ध पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लि खत शर्तो के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनरा श के अंतर्गत तथा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना था।
- कार्यो को पूर्ण करने हेतु ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी (सभी के लए माध्या मक शक्षा परिषद) ने लोक निर्माण वभाग को पहली कश्त मे `116.12 लाख उपलब्ध कराए थे जिस का पूर्ण उपयोग/व्यय खण्ड द्वारा कया गया था।

इस सम्बंध मे ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान, उत्तरकाशी ने पत्रांक संख्या/ निर्माण/2061-64/सीन-(01)/ 2015-16 दिनांक 19 मार्च 2016 द्वारा अधीक्षण अ भयन्ता, छठा वृत लोक निर्माण वभाग, उत्तरकाशी को अवगत भी कराया था क राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 3 हाईस्कूल व 2 इण्टर कॉलेज जिनकी स्वीकृत लागत ` 232.25 लाख थी के निर्माण कार्यो को अनुबन्ध पत्र के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करवाये तथा निर्माण कार्यो के पुनरी क्षत आगणन कदा प प्रस्तुत न कया जाये साथ मे यह भी कहा गया था क योजना के अंतर्गत कार्यो की मात्रा (यूनिट) को कम व कटोती न की जाये।

उपरोक्त के सम्बंध मे कार्यालय के लेखा अ भलखो व पत्रावली की जांच मे पाया गया क

- निर्माण खण्ड द्वारा इन 3 हाईस्कूल व 2 इण्टर कॉलेज जिनकी स्वीकृत लागत ` 232.25 लाख की थी के निर्माण कार्य हेतु पुनरी क्षत आगणन `326.26 लाख को शासन

से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा देहरादून को प्रे षत कया गया था जिसका आति थ तक राज्य सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नही हुआ है।

- निर्माण कार्य के उपलब्ध मूल्याकन की पत्रावाली के मूल्यांकन के अनुसार राजकीय कन्या हाई स्कूल गड़ोली, राजकीय इंटर कॉलेज गड़ोली व राजकीय इंटर कॉलेज पोनटा मे निर्माण कार्यो मे कई खा मया पायी गई थी।

इन 3 हाईस्कूल व 2 इण्टर कॉलेज के कार्यो की मात्रा को कम (हाईस्कूल मे 5 की जगह 4 यूनिट व इणटर कॉलेज मे 6 की जगह 5 यूनिट बनाए गए) कर के दो वद्यालय को पूर्ण कया जा चुका था जिसमे से एक अगस्त 2016 मे ही पूर्ण कया जा चुका था जब क शेष का 95% का कार्य 12/2016 तक कया जा चुका है ले कन पूर्ण कये गए वद्यालय को ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी को हस्तांतरित नही कया गया है। आति थ तक ठेकेदार को उपरोक्त वद्यालय पर `116.12 लाख का भुगतान कर दिया गया था तथा अवशेष धनरा श `116.13 लाख ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी द्वारा अवमुक्त न कए जाने के कारण ठेकेदारो के देयको का भुगतान आति थ तक लम्बित है।

प्रकरण इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क पूर्ण कए गए वद्यालय को अवशेष 50% धनरा श अवमुक्त होने के उपरान्त ही राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान कार्यालय को हस्तगत कया जाएगा जब क निर्माण कार्यो मे कई खा मयो के बारे मे अवगत कराया गया क इन खा मयो का सुधार कर लया गया है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यो क हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज भवनो को शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादन नहीं कया गया था जिसके कारण राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान द्वारा अवशेष धनरा श `116.14 लाख को अवमुक्त आति थ तक नहीं कया जा रहा है इस के अतिरिक्त इन निर्माण कार्यो को सुधारने के उपरांत कए गए थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

अत: ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान उत्तरकाशी व निर्माण खण्ड, बड़कोट द्वारा शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य मे श थलता के कारण नव नि र्मत हाईस्कूल व इण्टर कॉलेज भवनो का उद्देशयो के अनुरूप उपयोग सुनि शत न कये जाने से छात्र छात्राओ को नि र्मत भवनो की सु वधा से वं चत रखना एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 3:–वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के निम्नलिखित प्रस्तर संख्या में प्रावधानित था कि :–

प्रस्तर संख्या–524 ठेकेदार से सम्बन्धित लेखों को ठेकेदारों की बही, प्रारूप 43 में पृथक पृष्ठों के संयोग(Set of folios) में लिखा जायेगा जिसमें प्रत्येक ठेकेदार से सम्बन्धित सभी संव्यवहारों के लिए व्यक्तिगत खाता होगा।

प्रस्तर संख्या–524 कार्य सारांश को प्रथमतः उप–प्रखण्ड कार्यालय में तैयार किया जाना चाहिये। इसमें नकदपुस्तिका(Cash book) और सम्बन्धित ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों को दिन प्रतिदिन के हिसाब से लिखना चाहिये तथा अन्तिम प्रभार की वापसी लेखन (write book) और नकदवापसी को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में लिखना चाहिये।महीने के अन्त में भण्डारण एवं समायोजन संव्यवहारों को सम्मिलित करना चाहिये तथा **निर्धारण** पुस्तिका के अनुसार निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा का उल्लेख किया जाना चाहिये तथा निलम्बित शीर्षक (1) ठेकेदारों को अग्रिमभ् ुगतान (2) ठेकेदारों को प्रतिभूतित अग्रिम और (3) ठेकेदारों के अन्य संव्यवहार के अधीन सकल योग की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ठेकेदारों के लेखे के बन्द जमा राशि(Closing Balance) का विवरण दिखाया जाना चाहिये। कार्य सारांश को प्रखण्ड लेखाकार की देखरेख में जांचा और बन्द किया जाएगा जो निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगा–

''इस कार्य सारांश को **मेरी** देखरेख में मेरे द्वारा जांचा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी मदों का मिलान 'ठेकेदारों का विवरण' 'ठेकेदारों के सन्दर्भ में बन्दी जमा राशि के रजिस्टर से किया है उन्हें सही पाया है।

प्रस्तर संख्या–634 प्रखण्ड से सम्बन्धित सभी निक्षेपण मासिक संव्यवहार के रूप में समेकित अभिलेख के रूप में तैयार किये जाएं तथा उन्हें निक्षेपित कार्य की अनुसूची के प्रारूप 65 में तैयार किया जाएं। प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में दर्शित इस अनुसूची में प्राप्त निक्षेपण की राशि तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान तिथिवार रीति से दिया जाएं।

पूर्ण कार्य के बिना खर्च की गयी राशि की वापसी निक्षेपण की कटौती मे ली जाएं, इसलिए ऋणात्मक वसूली के रूप में अनुसूची में इसे दर्शित किया जाये न कि खर्च के रूप में इसे दर्शित किया जाए।

अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण** खण्ड, लो0नि0वि0, **बडकोट** के अभिलेखों की नमूना जांच (06/2017) के दौरान पाया गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के उक्त प्राविधानों के बावजूद खण्ड के अन्तर्गत ठेकेदारो की बही(Contractors Ledger), कार्य सारांश(works abstract) तथा निक्षेपित कार्यो की अनुसूची प्रारूप 65 (Form no. 65 "Schedule of deposit works") का रखरखाव नही किया जा रहा था तथा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को मासिक लेखा के साथ संलग्न कर प्रेषित नही किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि उक्त का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में उच्चाधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दिशा–निर्देश नही दिया गया था इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किया जा रहा था। आगे यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा सामान्य भविष्य निधि(जी0पी0एफ0) ब्राडशीट का रखरखाव भी सुनिश्चित नही किया जा रहा था।

उक्त को इंगित किये जाने पर खण्ड ने अवगत कराया कि Contractor Ledgerकी प्रक्रिया की कार्यवाही की जायेगी **जब क** Work abstract तथा जी0पी0एफ0 ब्राडशीट के रखरखाव **मे कोई टिप्पणी अथवा आख्या नहीं दी। इस के अतिरिक्त यह भी बताया गया क खण्ड द्वारा** फार्म–65 तैयार कर मासिक लेखा के साथ संलग्न कर कार्यालय महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दिया है।खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुष्टि होती है कि उक्त अभिलेखों का रखरखाव खण्ड के अन्तर्गत नही किया जा रहा था, जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त अभिलेखों का रखरखाव नही किये जाने के सन्दर्भ में ऐसा कोइ र्दिशा–निर्देश नही दिये गये थे। **इस के अतिरिक्त** प्रत्येक ंनिक्षेपित कार्य के सम्बन्ध में दर्शित अनुसूची के प्रारूप 65 में प्राप्त निक्षेपण की राशि तथा नियत खर्च दोनों माह के दौरान तिथिवार रीति से **नहीं** दिया जा **रहा था**।

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार बिना निर्देश प्राप्त किये अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 4 : उपखनिजो पर ` **13.77**लाख की कम रायल्टी वसूल कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक 26/02/2016 से 18/05/2016 तक 121.55 दिनांक 19/05/2016 से 27/10/2016 तक 96.25 व दिनांक 10/10/2016 से अति थ तक 110.11 प्रति घन मीटर संशो धत/वृद् ध कया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी कार्यालय के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जांच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती 1 मार्च 2016 से मार्च 2017 तक नहीं कया गया था।

खण्ड के द्वारा 1 मार्च, 2016 से मार्च 2017 तक कुल 34.79 लाख कटौती कर जमा कया गया था जब क संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो 48.56 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात (48.56 लाख - 34.79 लाख = 13.77 लाख) 13.77 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर में उल्लि खत कया क लेखा परीक्षा दल द्वारा उल्लि खत रायल्टी से संबं धत पत्र इस कार्यालय में वलम्ब से प्राप्त होने के कारण बढ़ी हुई रायल्टी दरों के अनुसार कटौती नहीं की जा सकी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सभी कार्यालय को राज्य सरकार के द्वारा द्रुतगामी उपकरणों जैसे फैक्स, ई-मेल आदि से सुसज्जित कया गया है अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः 13.77 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2ब

प्रस्तर 5: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण एक अ धकारी पर ₹ 3.23 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बडकोटके अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री तरुण कुमार क पल, सहायक अ भयन्ता, एवं श्री नवीन कुमार शर्मा,सहायक अ भयन्ता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर क्रमश: 2004 एवं 2005 मे नियु क्त हुई थी तथा अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर क्रमश: मई, मार्च 2011 को हुई|

उपरोक्त अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो की सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री तरुण कुमार क पल, सहायक अ भयंता तथा श्री नवीन कुमार शर्मा,सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹ 18750/= व ₹ 17250/= दिया गया जब क वेतन आयोग के अनुसार ₹ 17080/= दिया जाना चाहिये था| इस प्रकार श्री तरुण कुमार क पल, सहायक अ भयंता को जून 2011 को मूल वेतन ₹ 17080/=निर्धारित करने पर जून 2011 से मई 2017 तक कुल ₹ 3.23लाख(केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|इसी प्रकार दुसरे अ धकारी को भी अ धक वेतन भुगतान कया गया हैं|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क वेतन निर्धारण नियमानुसार कया जा रहा है| और गणना के उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी|

अत: तरुण कुमार क पल, सहायक अ भयंता पर ₹ 3.23लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 6:–वित्तीय प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही कार्य को टुकड़ो में बाटना व रू0 68.26 लाख का व्ययाधिक्य भारित किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला में सारीगाड–गातू–मूलागांव मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 235/2013) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 6112/।।।(2)/13–32(प्रा0आ0)/2013, दिनांक 22.11.2013 द्वारा 15 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 513.58 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–1, (दे0दून क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा पत्रांक– 80/21 याता0–दे0दून/2013 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से विस्तृत आगणन पर 15.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 513.54 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बडकोट (उत्तरकाशी) के अभिलेखों की नमूना जांच (06/2017)में पाया गया कि :–

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए निविदा दिनांक 23.12.2013 को आमंत्रित की गयी।
- कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 12 अनुबन्ध अधिशासी अभियन्ता स्तर के गठित किये गये लेकिन कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं वित्तीय नियमानुसार सक्षम अधिकारी सें अनुमोदन प्राप्त नही किया गया था।
- कार्य पर मासिक प्रगति आख्या तथा फार्म–64 के अनुसार माह 05/2017 तक कुल रू0 512.85 लाख का व्यय भारित किया गया था जबकि उक्त अवधि तक भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 353.17लाख का ही व्यय किया गया था तथा कार्य पर स्टाक/मैक्सफाल्ट कुल रू0 71.67 लाख का निर्गत किया गया हैं, इस प्रकार कार्य के व्यय में रू0 88.01लाख का अन्तर था जबकि कार्य हेतु मात्र रू0 19.75 लाख का आकस्मिक व्यय व क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्राविधानित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य पर आधिक्य व्यय रू0 68.26 लाख भारित किया गया।

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नही की गयी, जबकि कार्य को टुकड़ों में बांटने हेतु

अवगत कराया गया कि जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनता एवं ठेकेदारों को रोजगार दिलाने हेतु किया गया तथा उक्त मार्ग में आकस्मिक व्यय के अलावा अन्य मार्गो के देयको का भुगतान किया गया। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नही था क्योंकि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही कार्य को टुकड़ों में बाटा गया था तथा रू0 68.26 लाख का अन्य कार्यो का व्यय इस कार्य पर भारित किया गया था जो वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल एवं शासनादेश का अनुपालन नही किया गया।

अतः कार्य को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं वित्तीय नियमानुसार बिना सक्षम अधिकारी सें अनुमोदन प्राप्त किये टुकड़ो में बाटना एव कार्य पर रू0 68.26 लाख का व्यावर्तन से कार्य पर अधिक व्यय भारित किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- प्राप्त धनरा शयो से कार्यो पर अ धक व्यय 92.02 लाख कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तका भाग 6 के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार deposit कार्यो पर व्यय प्राप्त धनरा श तक सी मत रखा जाए।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा 2003 के उपरान्त निम्न ल खत 6 निक्षेप कार्यो (89.59 लाख दैवीय आपदा के 4 कार्यो पर व 2.43 लाख अन्य 2 कार्यो) पर प्राप्त धनरा शयो से अ धक व्यय कया गया था, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

कम संख्या	अवधि	कार्य विवरण	आधिक्य व्यय (`)
1.	Mar-14	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	(-) 200000.00
2.	Aug-16	दैवीय आपदा 2004–05 के अन्तर्गत नौगांव स्यूरी मोटर मार्ग के कि0मी0 2.00 से 10.00	(-) 116379.00
3.	Jan-08	11वां वृत्त आयोग के अन्तर्गत निर्माणाधीन जानकीचट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग का निर्माण।	(-) 43256.00
4.	Feb-08	दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों में यमुना नदी पर स्थित पुल का पुनः निर्माण।	(-) 187315.00
5.	Sep-10	दैवीय आपदा वर्ष 2010–11	(-) 8393776.00
6.	Sep-11	दैवीय आपदा वर्ष 2011–12 जिलाधिकारी के पत्रांक 6 (75) तेरह–28 (2010–11) दिनांक 29.09.2011	(-) 261049.00
		योग	(-)9201775.00

खण्ड द्वारा उक्त कार्यो क मूल पत्रावली एवं अ भलेख जांच हेतु लेखा परीक्षा के मागे जाने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कए गये।

इस ओर इं गत कए जाने के उपरान्त खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क ऋणात्मक धनरा श के समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क खण्ड द्वारा वगत 7 से अ धक वर्षो से इस ऋणात्मक धनरा श के समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है जो खण्ड की श थलता का द्योतक है।

अतः प्राप्त धनरा शयो से कार्यो पर 92.02 लाख का अ धक व्यय कया जाना व ऋणात्मक धनरा श के समायोजन हेतु वगत कई वर्षो से कोई कार्यवाही न कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर **2**: 21.34 लाख के प्रतिकर के भुगतान कसानो को न कया जाना व वत्तीय नियमो का उल्लघन करते हुवे सी०सी०एल० से डी०सी०एल० मे नि ध व्यावर्तन।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बडकोट के निक्षेप मद भाग-III के अ भलखो की नमूना जांच मे पाया गया क खण्ड को स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अंतर्गत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से कसानो के क्षतिग्रस्त खेतो का एवं मलवा सफाई पेड़ो का प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु कुल 314.05 लाख का धन आवंटन कया था। इस धनरा श का व्यय अनुदान संख्या 30 लेखा शीर्षक 5054 सड़क एवं सेतु -04 जिला व अन्य सड़क -आयजोनागत 800 अन्य व्यय 02 अनुसू चत जातियो के लए स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान 00 भू म अ धग्रहण 24 वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाना था।

लेखा अ भलखो मे आगे यह पाया गया क खण्ड द्वारा उक्त रा श मे केवल 292.70 लाख का वतरण (मार्च 2017 तक) कया और शेष धनरा श 21.34 लाख निक्षेप मद भाग-III मे रख दी जो क वत्तीय नियमो का उलंघन है। आगे यह भी देखा गया क जिला धकारी उत्तरकाशी के द्वारा सर्कल रेट वर्षवार पुनरी क्षत कए गए है। उक्त के अनुसार भू म प्रतिकर का भुगतान प्राप्त धनरा श से कया जाना आति थ मे सम्भव नहीं है।

इस सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा प्राप्त धनराशि को सी0सी0एल0 से डी0सी0एल0 मद में डाले जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या नही दी व 2.92 लाख भुगतान हेतु अवशेष है। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि प्रतिकर प्रस्तावों की जॉच उपजिलाधिकारी/तहसीलदार एवं पटवारी की जॉच कमेटी द्वारा स्थलीय सत्यापन किये जाने के पश्चात ही प्रतिकर प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे तथा आवंटित धन का शत प्रतिशत उपयोग चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जाना था। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के नियम–95 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को सी0सी0एल0 से डी0सी0एल0 मद में डाले जाने का भी उल्लंघन किया है।

अत: 21.34 लाख का प्रतिकर समय पर कसानो को भुगतान न कया जाना व वत्तीय नियमो का उल्लघन करते हुवे सी०सी०एल० से डी०सी०एल० मे नि ध व्यावर्तन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
94/2010-11	1,2	1
05/2012-13	1	1,2
50/2014-15	1	1,2,3
89/2015-16	-	1,2,3,4,5

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		सभी प्रस्तर महालेखाकार में लम्बित है।	अ भलेख अप्रस्तुत।	

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) वगत लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अ भलेखः उत्तरकाशी में देहली-यमुनोत्री मो.मा. के बिल्ला से जरडा-छुड़ीतेड़ा होते हुए नप्युंका तक मो.मा. लम्बाई 15.00 कमी से संबं धत Bond एवं अन्य अ भलेख।

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र.सं0	नाम	पदनाम
(i)	ई. वी.डी. भट्ट,	अ धशासी अ भयन्ता (वगत लेखापरीक्षा से 02-03-2017 तक)
(ii)	श्री धीरेन्द्र कुमार	अ धशासी अ भयन्ता (03-03-17 से अब तक)

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री श्याम संह भण्डारी, (वगत लेखापरीक्षा से अब तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II